पंजीकृत डाक से
राआबैंक(नदि)/डीआरएस/निर्देश सं.-32/2009-10
दिनांकित : 16 मार्च, 2010

सभी पंजीकृत आवास वित्त कंपनियों को

महोदय/महोदया,

धनशोधन अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) तथा उसके तहत बनाये गए नियमों के अन्तर्गत 'अपने ग्राहक को पहचाने (केवाईसी) मानदंड/ धनशोधन उपाय/आतंकवाद की वित्तीय सहायता पर रोक/बैंकों का उत्तरदायित्व

राष्ट्रीय आवास बैंक ने अपने परिपत्र सं. राआबैंक(नदि)/डीआरएस/नीति सं. 13/2006 दिनांक 10 अप्रैल, 2006 के द्वारा 'अपने ग्राहक को पहचाने' (केवाईसी) मानदंड और 'धन शोधन उपाय' के बारे में संशोधित दिशानिर्देश जारी किये थे जिन में आवास वित्त कंपनियों को अन्य बातों के साथ-साथ, धनशोधन अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) तथा उसके तहत बनाये गए नियमों के अन्तर्गत ग्राहक की पहचान करने की प्रक्रिया, लेनदेन का अभिलेख रखने और उस अभिलेख को सुरक्षित रखने की अवधि के बारे में सूचित किया गया था ।

2. पीएमएलए को धनशोधन (संशोधन) अधिनियम, 2002 (21/2009) द्वारा संशोधित किया गया और संशोधित अधिनियम 01 जून, 2009 से प्रभावी हुआ । संशोधित पीएमएलए की धारा 12 के अनुसार प्रत्येक आवास वित्त कंपनी को निम्नानुसार अभिलेख रखना चाहिए यथा :

(क) 10 लाख रुपये से अधिक के सभी लेनदेनों का अभिलेख, चाहे वह लेनदेन एक मुश्त हुआ हो या उसी संबंध में कई किस्तों में हुआ हो, और वह प्रत्येक लेनदेन एक माह के अंदर हुआ हो ।

इस प्रकार के लेनदेन का अभिलेख ग्राहक और आवास वित्त कंपनी के बीच हुए लेनदेन की तारीख से दस वर्ष तक रखना होता है ।

(ख) आवास वित्त कंपनियों के सभी ग्राहकों का रिकार्ड जो रा.आ.बैंक के परिपत्र सं. राआबैंक(नदि)/डीआरएस/नीति सं. 13/2006 दिनांक 10 अप्रैल, 2006 के अनुलग्नक अनुच्छेद में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार आवास वित्त कंपनियों द्वारा प्राप्त किया गया है ।

इस प्रकार से की गई पहचान का रिकार्ड ग्राहक और आवास वित्त कंपनी के बीच कारोबारी लेनदेन की तारीख से दस वर्ष तक रखना होता है ।

3. इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना सं. 13/2009/एफ सं.6/8/2009-ईएस दिनांक 12 नवम्बर, 2009 द्वारा धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरूप तथा मूल्य के अभिलेखों का रखरखाब, सूचना प्रस्तुत करने की समय सीमा तथा उसके रखरखाब की क्रियाविधि तथा पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं तथा मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन तथा रखरखाब) नियमावली, 2005 में संशोधन किया है । अधिसूचना की एक प्रतिलिपि सूचनार्थ संलग्न है । संशोधित नियम 2, 3, 6, 8 और 9 के अनुसार, आवास वित्त कंपनियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि :

(क) गैर-लाभकारी संगठनों के दस लाख रुपये अथवा विदेशी मुद्रा में उसकी समतुल्य राशि से अधिक मूल्य की प्राप्तियों वाले सभी लेनदे का सही रिकार्ड रखें (नियम 3(1). इसके लिए ' गैर-लाभकारी संगठन' की परिभाषा भी नियम 2(1)(सीए) के तहत दी गई है,

गैर-लाभकारी संगठनों' द्वारा किये गए ऐसे सभी लेनदेन की रिपोर्ट निर्दिष्ट फार्मेट में परवर्ती महीने की 15 तारीख तक प्रेषित करें ।

(ख) ग्राहक और आवास वित्त कंपनी के बीच हुए लेनदेन की तारीख से दस वर्ष की अवधि तक नियम 3 में किये गए उल्लेखानुसार रिकार्ड रखना (नियम 6),

(ग) आवास वित्त कंपनी और उसके कर्मचारी संदिग्ध लेनदेनों के तथ्यों को प्रस्तुत करने/ब्योरा भेजते समय पूर्ण गोपनीयता बनाये रखें (नियम 8(3) का परन्तुक),

(घ) निम्नलिखित का सत्यापन करने के लिए :

(i) गैर-खाता आधारित ग्राहक जब पचास हजार रुपये के समकक्ष या उससे अधिक का लेनदेन करे ,
(ii) सभी अन्तर्राष्ट्रीय धन अंतरण करने वाले ग्राहक (नियम 9(1)(बी)(i) व (ii);

खाता खोलने / लेनदेन निष्पादित करने के बाद एक तर्कसंगत समय में ग्राहक की पहचान का सत्यापन करने की छूट समाप्त कर दी गई है (नियम 9 का परन्तुक) ।

4. राजनीति से संबंधित व्यक्तियों के खातों के बारे में यह सूचित किया जाता है कि यदि मौजूदा ग्राहक या मौजूदा खाता धारक बाद में राजनीति से सम्बद्ध हो जाता है, तब आवास वित्त कंपनी को उन व्यक्तियों से कारोबारी संबंध बनाये रखने के मामलों में वरिष्ठ प्रबंधन से स्वीकृति लेना चाहिए, और रा.आ.बैंक के परिपत्र सं. राआबैंक (नदि)/डीआरएस/नीति सं. 13/2006 दिनांक 10 अप्रैल, 2006 के अनुलग्नक-I में किये गए उल्लेखानुसार निगरानी भी बढ़ा दी जाये ।

5. आवास वित्त कंपनियों को उपर्युक्त को ध्यान में रखने के लिए सूचित किया जाता है और उक्त अधिनियम के संशोधित प्रावधानों एवं उसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें ।

कृपया पावती दें ।

भवदीय,

राधेश्याम

(आर.एस. गर्ग)
महाप्रबंधक
विनियमन एवं पर्यवेक्षण विभाग

संलग्न : यथोपरि